# बिहार सरकार,
## पर्यावरण एवं वन विभाग
## कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-883

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 06/08/2018

विषय – कटिहार जिलान्तर्गत NH-131A के कि०मी० 49 पर (LC No. KB/1B) पर प्रस्तावित ROB (48.603-49.817 KM) पहुँच निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.382 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि कटिहार जिलान्तर्गत NH-131A के कि०मी० 49 पर (LC No. KB/1B) पर प्रस्तावित ROB (48.603-49.817 KM) पहुँच निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.382 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश पर ROB एवं पहुँच पथ निर्माण में 0.382 हे० वन भूमि एवं 29 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा किया गया है। पातित होने वाले सभी वृक्ष 60 CM से अधिक के है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (29) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 290 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है।

कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.382 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,39,132/– (रूपये दो लाख उनचालीस हजार तीन बत्तीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (29) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 290 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

06/08/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।